सं.3/7/2024-पी&पीडबल्यू(एफ) (10139)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक : 25.10. 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सेवानिवृत होने वाले सरकारी कर्मचारी को जीपीएफ का अंतिम भुगतान समय पर करने से संबंधित स्पष्टीकरण-संबंधी।

हाल ही में विभाग को ऐसे कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं, जिनमें सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को जीपीएफ के विलंबित भुगतान पर ब्याज दिए जाने के संबंध में पूछा गया है, कि सेवानिवृत्ति के बाद जीपीएफ पर ब्याज देय है या नहीं।

2. इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि इस विभाग के दिनांक 16 जनवरी, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/3/2016-पी&पीडबल्यू(एफ) **(प्रति संलग्न)** द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को जीपीएफ का अंतिम भुगतान समय पर करने से संबंधित विस्तृत स्पष्टीकरण सभी मंत्रालयों/विभागों को प्रेषित किए गए थे।

3. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियमावली, 1960 के नियम 34 में स्पष्ट प्रावधान है कि जब अंशदाता के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि देय हो जाती है, तो भुगतान करने का दायित्व लेखा अधिकारी का होगा।

4. यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी की व्यक्तिगत संपत्ति है। उनके खिलाफ लंबित किसी भी अनुशासनिक मामले या लगाए गए जुर्माने का सामान्य भविष्य निधि राशि के संवितरण पर **कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।** सामान्य भविष्य निधि नियमावली के नियम 11(4) के अनुसार, यदि सेवानिवृत्ति पर जीपीएफ की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि की बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित है।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक : यथोक्त

25.10.2024

(दिलीप कुमार साहू)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 011-24641627

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन(मानक सूची के अनुसार)

सं. 3/3/2016-पी एंड पी डब्ल्यू (एफ)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)
डेस्क-एफ

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक 16 जनवरी, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को समय पर जीपीएफ का अंतिम भुगतान करने से संबंधित स्पष्टीकरण - के संबंध में।

'भविष्य' के क्रियान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए मंत्रालयों/ विभागों के साथ आयोजित समीक्षा बैठकों में यह देखा गया है कि कई मामलों में सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी/ अधिकारी को सेवानिवृत्ति पर सामान्य भविष्य निधि का अंतिम भुगतान तत्काल नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण विलंबित अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करना पड़ता है।

2. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियमावली के नियम 34 में स्पष्ट प्रावधान है कि जब अंशदाता के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि देय हो जाती है, तो भुगतान करने का दायित्व लेखा अधिकारी का होगा। भुगतान करने का प्राधिकार, अधिवर्षिता की आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम एक महीने पहले जारी किया जाएगा, किंतु वह सेवानिवृत्ति की तारीख को देय होगा। यह उल्लिखित है कि सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी द्वारा सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता को इस विभाग के दिनांक 15.11.1996 की अधिसूचना सं. 20(12)/94-पी एंड पी डब्ल्यू (ई) द्वारा समाप्त कर दिया गया है और दिनांक 23.11.1996 के एस.ओ.सं. 3228 के तहत अधिसूचित किया गया है।

3. सामान्य भविष्य निधि नियमावली के नियम 11 (4) के अनुसार, यदि सेवानिवृत्ति पर सामान्य भविष्य निधि की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि की बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। जहां सामान्यत: सेवानिवृत्ति के बाद छह महीने की अवधि के लिए ब्याज की अनुमति वेतन एवं लेखा अधिकारी (पीएओ) द्वारा दी जा सकती है, वहीं छह महीने से अधिक के ब्याज के भुगतान के लिए लेखा कार्यालय के प्रमुख और एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए लेखा नियंत्रक/वित्तीय सलाहाकार के अनुमोदन की आवश्यकता है।

4. सामान्य भविष्य निधि का समय से भुगतान सुनिश्चित करने और सेवानिवृत्ति के बाद ब्याज के अनावश्यक बोझ से बचने के लिए अब यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी मामलों में जहां कि सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1960 के नियम 11 (4) के अनुसार सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज का भुगतान अनिवार्य हो जाता है, उन मामलों को प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे सभी मामलों में सामान्य भविष्य निधि के भुगतान में देरी के लिए सभी स्तरों पर जिम्मेदार पाए जाने वाले सरकारी सेवक/सेवकों के विरूद्ध यथोचित कार्रवाई करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव जिम्मेदारी तय करेंगे।

5. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 27 सितंबर, 2016 के आईडी सं. 187/E.V/2016 के तहत जारी किया जाता है।

सीमा

(सीमा गुप्ता)
निदेशक

सेवा में,

1. सभी मंत्रालय/विभाग (मानक डाक सूची के अनुसार)
2. राष्ट्रपति सचिवालय
3. संघ लोक सेवा आयोग
4. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, डीडीयू मार्ग, नई दिल्ली।